

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

क्रमांक / स्टोर / नीलामी / १६


दिनांक : 6/2/2021

नीलामी सूचना

इस न्यायक्षेत्र के जैसलमेर स्थित न्यायालयों के अधिशेष/नाकारा/अप्रचलित सामग्री (टाईपराईटर, अलमारी, लकड़ी की कुर्सीया, लोहे की कुर्सीया, टेबल, पंखे, कूलर, टयुबलाईट इत्यादी) का विक्रय खुली नीलामी से दिनांक 22.02.2021 को दोपहर 3:00 बजे अपर जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर के प्रांगण में, सामान जंहा है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा। नीलामी की जाने वाली सामग्री का पुस्तक मूल्य 1,99,103/- है। नीलामी में भाग लेने हेतु 4000/- रूपयें धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

नीलामी हेतु शर्तें :-

01. नीलामी में भाग लेने हेतु राशि रूपये 4000/- धरोहर राशि के रूप में दिनांक 22.02.2021 को दोपहर 3.30 तक जमा करानी होगी।
02. बिना धरोहर राशि के नीलामी में भाग नहीं लिया जा सकेगा।
03. नीलामी सामग्री जहां है, जैसा है, के आधार पर की जावेगी।
04. बोली 100 रूपयें के गुणज में लगाई जावेगी।
05. बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर सामान का अवलोकन करना होगा।
06. अधिकतम बोलीदाता को 5 प्रतिशत जीएसटी अलग से देना होगा।
07. सामग्री की बोली कमेटी के समक्ष लगाई जावेगी, यदि कमेटी सन्तुष्ट नहीं है तो नीलामी निरस्त की जा सकती है।
08. बोली स्वीकृति पश्चात् कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
09. सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करवानी होगी।
10. किसी भी विवाद का न्यायक्षेत्र जैसलमेर होगा।
11. अधिकतम बोलीदाता को शेष सम्पूर्ण राशि सात दिवस में जमा करवाकर अपने व्यय पर सामान उठाना होगा।
12. शेष शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार होगा।



अध्यक्ष,
नीलामी समिति
(व सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,)
जैसलमेर

क्रमांक / स्टोर / नीलामी / 32

दिनांक : 6/2/2021

प्रतिलिपि :-

01. कोषाधिकारी, जैसलमेर (नीलामी के समय पर प्रतिनिधि भिजवाने हेतु)
02. नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर।
03. जिला जनसम्पर्क एवं सूचना अधिकारी को राज्यहित में समाचार प्रकाशनार्थ।
04. कवाडी संघ, जैसलमेर।
05. रोकडपाल, कार्यालय हाजा।
06. सिस्टम ऑफिसर को विभागीय वेबसाईट एवं एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
07. कार्यालय प्रति।


अध्यक्ष,
नीलामी समिति
(व सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,)
जैसलमेर